तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
19-9-17	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन ~~अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-9-17 को पेश हो। रीडर	
27-9-17	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6-10-17 को पेश हो। रीडर	
6-10-17	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर ~~अवकाश पर हैं~~/अन्य ~~कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-10-17 को पेश हो। रीडर	
11-10-17	वकील उभयपक्ष उप० है। बहस सुनी गई। निर्णय हेतु पत्रा० दि० 16-10-17 को पेश हो।	
16-10-17	वकील उभयपक्ष उप० है। प्रेमराज द्वारा प्रस्तुत याचिका पत्र स्वीकार किया जाकर दावा सं. 210/2007 अजानी प्रेमराज बनाम रामजीलाल वगैरा की सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूलवाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
409/2016	2.11.2016	16.10.2017

प्रार्थना पत्र प्रेमराज पुत्र अम्बालाल जाति मीना निवासी रामगढमुराडा बाबत दावा संख्या 210/2007 उनवानी प्रेमराज वगैरा बनाम रामजीलाल वगैरा तारीख निर्णय 14.6.2016 को पुनः नम्बर पर लेने

उपस्थित :—श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से
श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, अप्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दावा पेश किया था जिसका लोक अदालत की भावना से श्रीमान् ने निर्णय कर तहसीलदार को मौके पर जाकर नाप कर सीमाज्ञान का आदेश दिया था। तहसीलदार जी ने मौके पर जाकर कार्यवाही की और इस सम्बन्ध में लिखा कि इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। पक्षकारान का मुकदमा माननीय न्यायालय में पूर्व से ही लम्बित था और लोक अदालत की भावना से कैम्प में आदेश हुए थे परन्तु उससे संतुष्टि नहीं हो पाई। उस मुकदमे को पुनः नम्बर पर लिया जाकर कार्यवाही शुरू करना न्यायहित में अनिवार्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुकदमा नम्बर 210/2007 की कार्यवाही पुनः चालू फरमाई जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल आदेशिका दि. 14.6.16, फोटोकोपी नकल डिक्री दिनांक 14.6.16, फोटोकोपी नकल राजीनामा दि0 14.6.16, फोटोकोपी नकल पत्रांक भू0अ0/16/1020 दिनांक 18.10.16 तहसीलदार गंगापुर सिटी पेश की है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से फोटोकोपी नकल साबिक नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी नकल रिपोर्ट भू—अभिलेख निरीक्षक दिनांक 9.11.2000, फोटोकोपी नकल मौका रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 29.11.2000 भी पेश की है।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि मु0नं0 210/2007 राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडाबाढरामगढ में राजीनामा के आधार पर निर्णित किया जा चुका है, पत्रावली दाखिल दफ्तर की जा चुकी है। इस कारण अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना विधि अनुरूप एवं न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सी0पी0सी0 के किन प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है यह विदित नहीं है। उक्त प्रकरण में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रार्थी प्रेमराज को संतुष्टि नहीं हो पाई तो उसे अलग से दावा पेश करने का अधिकार निर्णय में दिया गया है। पूर्व में निर्णित दावा को पुनः नम्बर पर लेने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रेमराज खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा सीमाज्ञान नहीं कराया गया है एवं कोई मुस्तकिल पोइन्ट भी कायम नहीं किया गया है जबकि श्रीमानजी के आदेश दिनांक 14.6.2016 के अनुसार तहसीलदार जी को भूमि का सीमाज्ञान करवाना था एवं उसके अनुसार दूसरे पक्ष का कब्जा पाए जाने पर उसका कब्जा सम्बन्धित पक्ष को संभलाया जाना था। रामजीलाल ने नये नम्बरों से नाप व सीमाज्ञान कराने से दो बार मना कर दिया ।अतः तहसीलदार को इस हेतु आदेशित किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार लोक अदालत में दावा निर्णित होने के बाद उसकी अपील का ही प्रावधान है एवं प्रार्थी अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रार्थी ने पूर्व के दावे को ही पुनः नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि राजस्व लोक अदालत कैम्प में हुए निर्णय के अनुसार असंतुष्टि की स्थिति में प्रार्थी को नवीन वाद लाने का अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा यह मामला सीमाज्ञान का नहीं होकर आपसी कब्जे के विवाद का है। भूमि साबिक ख0नं0 235 में रामजीलाल के पिताजी को 10 बीघा भूमि ख0नं0 235/3 में आवंटित हुई थी एवं साबिक ख0नं0 412 में 1 बीघा भूमि उनके पक्ष में नियमन हुई थी जिसके अनुसार वर्तमान में रामजीलाल वगैरा का मौके पर कब्जा है। साबिक ख0नं0 235 में 5 बीघा भूमि ख0नं0 235/4 प्रेमराज के पिता अम्बालाल को आवंटित हुई थी। इनके अलावा इस नम्बर में 3 बीघा, 4 बीघा भूमि भी आवंटित हुई है। मौके पर अम्बालाल की जमीन पर इसके भाई बन्धों का भी कब्जा है जिसके बारे में यह कुछ नहीं कहता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडाबाढरामगढ पर पक्षकारों में हुए राजीनामे अनुसार मुकदमा नम्बर 210/2007 के अनुसार भूमि ख0नं0 461, 462, 463, 463/1733, 460, 460/1830 ग्राम रामगढमुराडा की नाप तहसीलदार गंगापुर सिटी से होनी थी। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 17.10.16 के अनुसार पक्षकारों के मध्य मामला सीमाज्ञान का नहीं होकर कब्जे सम्बन्धी विवाद का

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

है। मौके पर काश्तकार मुताबिक रिकार्ड काबिज न होकर एक दूसरे की खातेदारी पर कबिज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दि0 2.6.17 में भी यही बात अंकित की गई है। चूंकि पक्षकारों के मध्य कब्जे को लेकर विवाद है जिसका समाधान उनके मध्य दावे के माध्यम से ही हो सकता है। हालांकि लोक अदालत में हुए निर्णय के अनुसार वादी पक्ष को नवीन वाद पेश करने की अनुमति दी गई है परन्तु हमारा यह मानना है कि वादी पक्ष द्वारा अब नवीन वाद दायर किया जाता है तो उसमें दूसरे पक्ष की तलवी होकर उसमें जबाब आदि की प्रक्रिया होगी जिससे दोनों ही पक्षों का समय, श्रम व अर्थ नष्ट होगा इसलिए इस असुविधा से दोनों पक्षों को बचाने के लिए हम पक्षकारों के मध्य पूर्व में विचाराधीन दावा संख्या 210/2007, जो दिनांक 14.6.2016 के लोक अदालत में निर्णित हो चुका है, को पुनः नम्बर पर लेकर दोनों पक्षों को सुनना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.16 स्वीकार किया जाता है एवं लोक अदालत कैम्प खेडाबाढरामगढ में दिनांक 14.6.2016 को राजीनामे के आधार पर निर्णित दावा संख्या 210/2007 उनवानी प्रेमराज वगैरा बनाम रामजीलाल वगैरा को पुनः नम्बर पर लेकर पक्षकारों की सुनवाई करने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी